

अपील क्रमांक 181/बो.प्र./नि.स./2022  
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)  
जल संसाधन विभाग,  
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,  
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक / 10 / 2022

अपील प्रकरण क्रमांक 181/बो.प्र./नि.सहा./2022

**अपीलार्थी**

श्री डी.आर. यादव,  
प्लॉट नं.-4 साई मंगलम के पास विद्युत नगर,  
दुर्ग (छ.ग.)  
मो.नं. 79994918138

**उत्तरवादी**

श्री ए.के. साय,  
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख  
अभियंता, जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर (छ.ग.)

**विरुद्ध**

**आदेश दिनांक 21.10.2022**

1 अपीलार्थी श्री डी.आर. यादव अनुपस्थित।

2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।

3. प्रकरण संक्षेप:

(i) आवेदक/अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र क्रं. 66, दिनांक 12.08.2022 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र में अवधि दिनांक 2005 से 2007 तक श्री आर.के. शर्मा, उप अभियंता को विद्युत/यांत्रिकी जल संसाधन संभाग रायपुर द्वारा पूर्व में उप अभियंता के पद पर रहते हुए इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री ली है। उक्त डिग्री की सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए श्री शर्मा द्वारा लिये गये अवकाश की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका इस कार्यालय का आवक क्रं. 1278, दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हुआ।


(ii) जनसूचना अधिकारी ने पृ. पत्र क्रमांक 7745, दिनांक 05.09.2022 द्वारा अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से सूचित किया कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत जनसूचना अधिकारी, लाइट मशीनरी संभाग, कालीबाड़ी मंदिर के पीछे, जल संसाधन संभाग, रायपुर की ओर प्रकरण हस्तांतरित किया गया।

(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में सही जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर पत्र क्रमांक 193 दिनांक 12.08.2022 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 13.10.2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 21.10.2022 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया।

4. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 21.10.2022 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हुआ। उपरोक्त वांछित जानकारी स्थापना शाखा से दिनांक 18.08.2022 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत जनसूचना अधिकारी, लाइट मशीनरी संभाग, कालीबाड़ी मंदिर के पीछे, जल संसाधन संभाग, रायपुर की ओर प्रकरण हस्तांतरित किया गया। उक्त पत्र के परिपालन में कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, सिहावा भवन परिसर, जल संसाधन विभाग, रायपुर से आवेदक को निरंक जानकारी दी गयी। क्योंकि संबंधित द्वारा व्यक्तिगत जानकारी देने में असहमती व्यक्त की गई।

5. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियम अवधि से पूर्व आवेदक को विस्तृत रूप से सूचित किया था।  
(ii) आवेदक/अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया गया था कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित किया गया एवं पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को सूचित किया गया।  
(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर अपील की जो दिनांक 13.10.2022 को प्राप्त हुई। जिसकी सुनवाई दिनांक 21.10.2022 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
6. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत जनसूचना अधिकारी, लाइट मशीनरी संभाग, कालीबाड़ी मंदिर के पीछे, जल संसाधन संभाग, रायपुर की ओर प्रकरण हस्तांतरित किया गया। उक्त पत्र के परिपालन में कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, सिहावा भवन परिसर, जल संसाधन विभाग, रायपुर से आवेदक को निरंक जानकारी दी गयी। क्योंकि संबंधित द्वारा व्यक्तिगत जानकारी देने में असहमती व्यक्त की गई। जनसूचना अधिकारी ने नियमानुसार निर्धारित अवधि में कार्य किया है। अतः अपील निराकृत।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।


  
(वीरेन्द्र तिवारी)  
प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पू.क्र./181/बो.प्र./नि.स./2022/ 9460

रायपुर, दिनांक 21/10/2022

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डी.आर. यादव, प्लॉट नं.-4 साई मंगलम के पास विद्युत नगर, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
(वीरेन्द्र तिवारी)  
प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)